(78

पत्रांक–5पुरा/स॰1–01/11................
बिहार सरकार
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार।

प्रेषक,

अशोक कुमार मल्लिक, भा0प्र0से0
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार बिहार,
पटना।

पटना, दिनांक..................

विषयः– **सैयद इब्राहिम हुसैन खाँ (फतहगंज) का मकबरा, भागलपुर के जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण हेतु रु– 1,30,18,500/– (एक करोड़ तीस लाख अठारह हजार पाच सौ रूपये) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति सहित राशि की निकासी की स्वीकृति।**

o/c

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार ने सैयद इब्राहिम हुसैन खाँ (फतहगंज) का मकबरा, भागलपुर के जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण हेतु रु 1,30,18,500/– (एक करोड़ तीस लाख अठारह हजार पाच सौ रूपये) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए राशि की निकासी की स्वीकृति प्रदान की है।

2. व्यय का विकलन योजना बजट शीर्ष "2205–कला एवं संस्कृति–103–पुरातत्व विज्ञान–0101–पुरातत्व निदेशालय–2702–अनुरक्षण एवं मरम्मत",विपत्र कोड पी 2205001030101, मांग संख्या–8 के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013–2014 में होगा।

3. राशि की निकासी, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा सचिवालय कोषागार विकास भवन, पटना से पूर्व प्राप्ति रसीद के आधार पर बिहार कोषागार संहिता (2011) प्रपत्र–42 के माध्यम से की जायेगी तथा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से बिहार राज्य भवन निर्माण निगम, लि0 पटना को उपलब्ध कराया जायेगा।

4. बिहार राज्य भवन निर्माण निगम, लि0, पटना इसका कार्यकारी अभिकरण होगा जिनके द्वारा प्रशासनिक स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरूप तकनीकी अनुमोदन प्राप्त करते हुए कार्य सम्पादन के उपरान्त कला संस्कृति एवं युवा विभाग को कार्यान्वयन प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।

5. संरक्षण का कार्य पुरातत्व निदेशालय की देख–रेख में होगा।

6. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561 दिनांक 17.4.98 एवं संकल्प संख्या–96 दिनांक 03. 01. 2008 के प्रावधानो के आलोक में विभागीय सचिव की स्वीकृति प्राप्त है।

7. एतद द्वारा पूर्व निर्गत विभागीय राज्यादेश संख्या–420 दिनांक 19.11.13 को निरस्त किया जाता है।

विश्वासभाजन,

ह0/–
(अशोक कुमार मल्लिक),
सरकार के संयुक्त सचिव।

कृ॰पृ॰उ॰

(77)

ज्ञापांक–....................../ पटना, दिनांक

प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी सचिवालय कोषागार विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
(अशोक कुमार मल्लिक),
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–......639....../ पटना, दिनांक 18/02/14

प्रतिलिपि– सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार पटना/प्रबन्ध निदेशक बिहार राज्य भवन निर्माण निगम, लि0 पटना /निदेशक पुरातत्व, बिहार पटना/जिला पदाधिकारी, भागलपुर/विभागीय निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी–1(बजट) /प्रशाखा पदा–5/बजट सहायक,/विभागीय लेखा शाखा (दो प्रतियों में), कला संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18/02/2014
(अशोक कुमार मल्लिक),
सरकार के संयुक्त सचिव।

18-2